निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1942 (श0)

(सं0 पटना 305) पटना, शुक्रवार, 15 मई 2020

वित्त विभाग

शुद्धि-पत्र

13 मई 2020

सं० वि0(27) पे0को0-49/2019-296—बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(ख) एवं 139(ग) के हिन्दी एवं अंगेजी पाठ में आंशिक भिन्नता से उत्पन्न विसंगति के निराकरणार्थ हिन्दी पाठ में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

1. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(ख) में अंकित शब्दावली **''यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है''** को कृपया **''यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से कोई सरकारी सेवक घोर कदाचार का दोषी साबित हो अथवा सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है''** पढ़ा जाय ।

2. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 139(ग) में अंकित शब्दावली **''घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है तथा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है''** को कृपया **''घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है अथवा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है''** पढ़ा जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव(व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 305-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in